न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला–बडवानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 559 / 2008</u> संस्थन दिनांक 12.12.2008

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला—बड़वानी (म.प्र.)

----अभियोगी

विरूद्ध

- 1. यूनुस पिता इस्माईल नायता, आयु 30 वर्ष,
- 2. अकरम पिता नजीर नायता, आयु 35 वर्ष,

दोनों निवासी—नायता मोहल्ला, ठीकरी तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

----अभियुक्तगण

/ / <u>निर्णय</u> / /

(आज दिनांक 14/01/2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध कमांक 314/2008 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 452 सहपिठत धारा 34 भा.दं.सं. में दिनांक 12.12.2008 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 11.12.2008 को लगभग 12:30 बजे नायता मोहल्ला ठीकरी में फरियादी मुबारिक के आवासीय मकान में फरियादी को उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित करने, फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय सह अभियुक्त के साथ मिलकर निर्मित किया जिसके अग्रसरण में फरियादी की गर्दन पकड़ी और अभियुक्त यूनुस ने धारदार चाकू से फरियादी को काटकर स्वैच्छया साधारण उपहित कारित करने और फरियादी को बाहर निकालकर लोकस्थान पर फरियादी व उसकी पत्नी को अश्लील गॉलिया देकर क्षोभ कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 452, 324, 294 सहपिठत धारा 34 भा0दं०सं० के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 11.12.2008 को फरियादी मुबारिक घर के अंदर खाट पर सोया हुआ था, लगभग 12:30 बजे अभियुक्तगण यूनुस एवं अकरम फरियादी के घर का दरवाजा खोलकर घुस गये फरियादी की पत्नी हुराबाई को मॉं–बहन की अश्लील गॉलिया देते हुए कहने लगे मुबारिक को समझा लेना, इतने में फरियादी मुबारिक की नींद खुल गई, और फरियादी ने अभियुक्त यूनुस से कहा कि वह घर के अंदर कैसे घुस आये, इतने में अभियुक्त अकरम ने फरियादी की गर्दन पकड़ ली और अभियुक्त यूनुस ने चाकू जेब से निकालकर उसे मारा जो उसकी दाहिने पैर की पिण्डली में लगा जिससे रक्त निकलने लगा, दूसरी बार फिर चाकु मारा। अभियुक्त अकरम ने घुसों से मुंह में मारा। फरियादी की माँ सईदाबाई एवं पत्नी एवं पिता बसीर द्वारा चिल्लाने पर पडोसी नाना आये व सभी ने घटना में बीच-बचाव किया। नाना द्वारा दोनों अभियुक्तों को घर के बाहर निकालकर ले गये। पुलिस ने फरियादी मुबारिक द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण यूनुस एवं अकरम के विरूद्ध अपराध क्रमांक 314/2008 अंतर्गत धारा २९४, ३२३, ३२४, ४५२ सहपठित धारा ३४ भा.दं.सं. में प्रकरण पंजीबद्व कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्व की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी मुबारिक की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त यूनुस से एक साक्षियों के समक्ष एक चाकू जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया, साक्षियों के समक्ष अभियुक्त यूनुस एवं अकरम को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 4 व 5 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये थे तथा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी मुबारिक व साक्षीगण हुराबाई, साईदाबाई, बसीर, व नाना के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन् न्यायिक मिजस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 454, 324, 294 सहपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है कि :--

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 11.12.2008 को लगभग 12:30 बजे नायता मोहल्ला ठीकरी में फरियादी मुबारिक के आवासीय मकान में फरियादी को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया ?

- 2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय मिलकर निर्मित किया जिसके अग्रसरण में अभियुक्त अकरम ने फरियादी की गर्दन पकड़ी और अभियुक्त यूनुस ने धारदार चाकू से फरियादी को काटकर स्वैच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को बाहर निकालकर लोकस्थान पर फरियादी व उसकी पत्नी को अश्लील गॉलिया देकर क्षोभ कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में फरियादी मूबारिक (अ.सा.1), हुराबाई (अ.सा.2), बसीर (अ.सा.3), नाना (अ.सा.4), प्रधान आरक्षक राजिकशोर सिंह (अ.सा.5), कासम (अ.सा.6), शिवराम (अ.सा.7), डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.8) एवं साईदाबाई (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में यूनुस (ब.सा.1), नसीरूद्दीन (ब.सा.2) तथा जुबेरिसंह ब.सा. 3 साक्षी के कथन कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 के संबंध में

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी मुबारिक (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 11 दिसम्बर 2008 को दिन के लगभा 12—12:30 वह खेत से आकर खाना खाकर सोया था, उसकी पत्नी बर्तन धो रही थी, युनूस दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया और उसकी पत्नी को कहा कि 'तेरे आदमी को समझा लेना। इतने में पीछे से अभियुक्त अकरम आया और उसने गर्दन पकड़ी और घुसे मारे, जो उस पर लगे, फिर अभियुक्तगण युनुस एवं अकरम ने रपटा-रपटी करके उसे नीचे गिरा दिया तथा हसमूर, इरमाईल व जाहिदा भी आये, पाँचों ने उसे मिलकर मारा, अभियुक्त यूनुस ने अपनी जेब में से चाकू निकाला और उसे मारा, जिससे उसे सीधे पैर की पिंडली पर चोंट लगी। यूनुस ने दोबारा चाकू मारा जो वापस पिंछली पर लगा, उसकी माता एवं पत्नी चिल्लाई तब नाना ने आकर युनुस व अकरम को बाहर निकाल दिया और शेष हसमूर, ईस्माइल एवं जाहिदा बाहर चले गये, उसके बाद वह अपनी माता को लेकर थाने पर पहुँच गया और ठीकरी थाने पर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाई जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट में हसमूर, इस्माईल एवं जाहिदा का नाम नहीं लिखाया था, तब उसने प्रायवेट परिवाद लगाया था। पुलिस ने उसे चिकित्सक के पास भेजा था, चिकित्सक ने उसकी चोंट देखी थी। साक्षी ने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी बताये है।

- बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह रिपोर्ट लिखाने 5 मिनट में घर से थाने पहुँच गया था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखाते और पंचनामें बनाते समय पूछताछ की थी। पुलिस ने उससे दो-तीन कागजों पर थाने पर व घर पर हस्ताक्षर करवाये थे, उन कागजों पर क्या लिखा था, उसने नहीं पढा था। उसने जब हस्ताक्षर किये थे, तब कागजों पर लिखा हुआ था वह कोरे नहीं थे। वह 5 वीं कक्षा तक पढ़ा है तथा वह हिन्दी अटक—अटक कर पढ़ लेता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि 2–3 वर्ष से उसकी अभियुक्तों से बोलचाल बंद है। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस पंचनामें बनाने के लिए रिपोर्ट वाले दिन शाम को 4-5 बजे आ गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद नकल दी थी। उसने नकल को बाहर आकर पढ़वाया था, तब उसे पता चला कि पुलिस ने तीन अन्य नाम नहीं लिखे थे, लेकिन उसने इस बात की शिकायत पुलिस के बड़े अधिकारी से नहीं की थी, सीधे न्यायालय आ गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों से रंजिश रखता है, साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तगण रंजिश रखते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि यूनुस ने दो बार चाकू से मारा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह अभी मदिरापान नहीं करता है, वर्ष 2001 में मदिरापान करता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे गिरने से चोंट आई थी या अभियुक्तगण उसके घर में नहीं घुसे थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध वह असत्य कथन कर रहा है या उसके अधिवक्ता ने साक्ष्य क्या देना है यह समझाया था।
- हुराबाई अ.सा.२ ने भी अभियुक्तगण द्वारा उसके घर में आकर 9. दरवाजा खोलकर अंदर आने और उसके पति के साथ यूनुस द्वारा चाकु से मारने और अकरम द्वारा उसके पति की गर्दन दबाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उस समय उसकी सास शायदाबाई आ गई थी और नाना आ गया था, जो अभियुक्तों को बाहर ले गये थे, फिर उसका पति व सास थाने पर गये थे और रिपोर्ट लिखाई थी। अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि 3-4 वर्ष पूर्व अभियुक्तों ने उनका मकान बनाया था और पिल्लर उनकी ओर बना दिया था, इस बात को लेकर उनकी बोलचाल बंद है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों और उनके मकान के मध्य की दीवार एक ही थी। साक्षी ने यह स्पष्ट कियां कि अभियुक्तों ने अपनी दीवार तोड़ दी है और उसकी दीवार अभी भी बनी है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त यूनुस बेड़िया में मस्जिद में मौलाना का कार्य करता है और ठीकरी में नहीं रहता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को 5 अभियुक्तों के नाम बताये थे, और उसने अभियुक्तों के जाने के बाद पति के पैर में चोंट देखी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों को चाकू मारते हुए नहीं देखा था या उसके पति ने उसे बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि घर से थाने पैदल जाने में

आधा घंटा लगता है। उसका पित रिपोर्ट लिखाने मोटरसाईकिल से गया था और 15 मिनट में थाने पहुँच गया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके पित के साथ कोई मारपीट नहीं की थी अथवा उसके पित को गिरने से चोंट आई थी और उन्होंने रंजिशवश मिथ्या रिपोर्ट लिखाई थी अथवा वह असत्य कथन कर रही है।

- बसीर अ.सा.4, नाना अ.सा.5 ने भी दोनों अभियुक्तों द्वारा फरियादी 10. के घर में घुसना व फरियादी के साथ मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी बसीर अ.सा.4 का स्पष्ट कथन है कि मुबारिक को मुक्कों–थप्पड़ से मारा था और युनुस ने चाकू से मुबारिक को दोनों पैरों को पिंडली में मारा था और उन्होंने बीच-बचाव किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में बसीर अ.सा.4 ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्तों से उनकी 4-5 वर्ष से बोलचाल बंद है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उनकी एवं अभियुक्त युनुस के मकान की दीवार एक ही हैं। यूनुस का पिता ईस्माईल उसके सगे भाई का पुत्र है। साक्षी ने स्वीकार किया कि मुबारिक चालक का कार्य करता है लेकिन यह जानकारी होने से इंकार किया कि मुबारिक घटना के समय मदिरापान किये हुए थे या नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे मुबारिक ने यह समझाया था कि 5 अभियुक्तों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, ऐसा न्यायालय में बताना। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मुबारिक ने उसे अधिवक्ता से मिलाया था, जिन्होंने बताया था कि ऐसे बयान देना है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि कि अभियुक्तगण ने उसके पुत्र मुबारिक के साथ कोई मारपीट नहीं की थी, लेकिन इस साक्षी को यह सुझाव बचाव पक्ष की ओर से नहीं दिया गया कि वह फरियादी के कहे अनुसार न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। उल्लेखनीय यह है कि उक्त साक्षी लगभग 75 वर्ष का है, ऐसी स्थिति में साक्षी द्वारा की गई उक्त स्वीकारोक्ति की पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, से अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि साक्षी द्वारा न्यायालय में अभियोजन कथा के अनुरूप साक्ष्य दी गई है।
- 11. नाना अ.सा. 5 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि यूनुस ने उसके सामने मुबारिक को पिंडली पर चाकु मारा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने अस्पताल जाते समय देखा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मुबारिक उसका संबंधी है और घाटना के समय वह दुकान पर था। वह न्यायालय में प्रातः 10 बजे फरियादी के साथ आया था और उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था। साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि घटना के एक वर्ष पूर्व से फरियादी एवं अभियुक्तों की बोलचाल बंद है, लेकिन कोई रंजिश नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने उसे क्या साक्ष्य देना है यह अधिवक्ता से समझाया था अथवा वह फरियादी के कहने से असत्य कथन कर रहा है।

- साइदाबाई अ.सा.10 ने भी युनुस एवं अकरम द्वारा उनके घर में 12. घुसकर मुबारिक के साथ अकरम द्वारा गर्दन पकड़कर मारपीट करने तथा यूनुस द्वारा जेब में से चाकू निकालकर सीधे पैर में मारकर और उसके पैर से रक्त निकलने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि उनके हल्ला करने पर नाना ने अभियुक्तों को बाहर निकाला था, फिर मुबारिक मोटरसाईकिल पर बैठकर थाने पर रिपोर्ट करने गया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके घर के आसपास बहुत से व्यक्तियों के मकान है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनके चिल्लाने पर बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया कि दोपहर के समय लोग खेती में गये थे और नाना आ गया था। साक्षी ने अभियुक्तों के अलावा उसके परिवार के तीन अन्य व्यक्तियों के नाम भी पुलिस को बताना स्वीकार किया है। साक्षी नाना को अपना रिश्तेदार होना भी स्वीकार किया है। साक्षी ने अभियुक्तों से अपनी रिश्तेदारी स्वीकार की है और पिछले 10 वर्षो से उनसे बातचीत बंद होना और रंजिश होना स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग आ गये थे और घर में भीड़ हो गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि इस घटना के पूर्व भी 3-4 बार उसका अभियुक्तों से विवाद हुआ था तथा अभियुक्तों और उनके मध्य रंजिश मकान को लेकर है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसका पुत्र मदिरापान करता है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसे फरियादी मुबारिक ने किसी अधिवक्ता से मिलाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों से रंजिश होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है या उन्होंने मिथ्या रिपोर्ट अभियुक्तों से उनका मकान खाली करवाने के लिए लिखवाई थी।
- 13. प्रधान आरक्षक राजिकशोर सिंह अ.सा.६ ने दिनांक 11.12.2008 को थाना ठीकरी में मुबारिक की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध कमांक 314/08 प्रदर्शपी 1 का दर्ज कर और सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि फरियादी को चिकित्सा हेतु ठीकरी चिकित्सालय भिजवाया था और विवेचना के लिए प्रधान आरक्षक शुभनारायण मिश्रा को केस डायरी दी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी से मिलकर अभियुक्तों के विरूद्ध मिथ्या रिपोर्ट की है।
- 14. कासम अ.सा.७ ने अभियुक्तों को पहचानने और पुलिस द्वारा यूनुस से बाजार से चाकु बुलाकर जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं तथा प्रदर्शपी 3 लगायत 5 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि चाकु अभियुक्त से जप्त नहीं किया था पुलिस ने उससे बाजार से बुलवाया था। शिवराम अ.सा.८ ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा केवल प्रदर्शपी 3 लगायत 5

पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षिवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के मामले का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है। संभवतः उक्त साक्षीगण जानबूझकर अभियुक्तों को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहे हैं। उक्त दोनों साक्षियों का यह कथन नहीं है कि पुलिस ने उनसे बिना पढ़े या जबरजस्ती हस्ताक्षर करवाये थे। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने से यह उपधारणा की जा सकती है कि उसमें लिखी हुई कार्यवाही उनके समक्ष आवश्यक ही हुई होगी।

- डॉ. आर.एस. मुजाल्दा अ.सा.९ ने दिनांक 11.12.08 को थाना 15. ठीकरी के आरक्षक राधेश्याम द्वारा लाये जाने पर मुबारिक पिता बसीर, निवासी ठीकरी का चिकित्सीय परीक्षण करने पर बायें पैर पर दो कटे-फटे घाव जिसका आकार 4x1 से.मी तथा 4x3 सेमी. चमड़ी की गहराई से सख्त अथवा धारदार वस्तु से होना पाया था तथा उक्त दोनों ही चोंटों को साधारण प्रकृति की होना बताया है और अपना चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 भी प्रमाणित किया है। वास्तव में इस साक्षी ने आहत मुबारिक के बायें पैर में दो घाव होना संभवतः भूलवश न्यायालय में कहा है, क्योंकि साक्षी के मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 में कॉलम नम्बर 3 में साक्षी द्वारा आहत मुबारिक के दाहिने पैर में उक्त चोंटें आना लिखा गया है तथा पुलिस द्वारा उक्त चिकित्सक को भेजे गये मेडिकल परीक्षण के आवेदन दिनांक 11.12.08 को ही आहत को दाहिने पैर की पिंडली में ही चोंटे आना लिखा गया है। संभवतः डॉ. आर.एस. मृजाल्दा अ.सा.9 के न्यायालय कथन के दौरान दायें पैर की जगह बायें पैर में चोंट आना टाईपिंग की भूल से भी हो सकता है, लेकिन मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आहत मुबारिक के दाहिने पैर में ही चोंटे थी। ऐसी स्थिति में प्रदर्शपी 1 और प्रदर्शपी 7 के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आहत मुबारिक को धारदार वस्तू से आई दो चोंट उसके दायें पैर की पिंडली पर ही कारित हुई है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आहत को आई चोंटें किसी नुकीले पत्थर पर गिरने से आ सकती है तथा स्वयं के द्वारा भी कारित की जा सकती है, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से मुबारिक अ.सा.1 को यह सुझाव नहीं दिया गया कि उसे नुकीले पत्थर पर गिरने से चोंटें आई या उसने स्वयं उक्त दोनों चोंटें कारित की। ऐसी स्थिति में डॉ.आर.एस. मुजाल्दा अ.सा.९ की स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 16. प्रधान आरक्षक शुभनारायण मिश्रा अ.सा.3 ने दिनांक 11.12.08 को थाना ठीकरी के अपराध कमांक 314/08 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी मुबारिक के बताये अनुसार घटनास्थल जाकर नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाने जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने फरियादी मुबारिक व साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा दिनांक

12.12.08 को थाना ठीकरी पर यूनुस के पेश करने पर एक चाकु लोहे का पंचों के समक्ष प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि विवेचना हेतु केस डायरी दोपहर 1:45 बजे प्राप्त हुई थी, उसके बाद सबसे पहले घटनास्थल 7—8 मिनट में पहुँच गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था तब फरियादी अस्पताल में भर्ती था या उसने फरियादी को तलब किया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि फरियादी घटनास्थल पर मिला था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी से मिलकर अभियुक्तों के विरुद्ध मिथ्या कार्यवाही की है या वह अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

अभियुक्त यूनुस ने द.प्र.सं. की धारा 315 के अंतर्गत स्वयं का परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में कराया है। साक्षी का यह भी कथन है कि मुबारिक, हुराबाई, साईदाबाई, रमजु बाबू एवं नाना आपस में रिश्तेदार है तथा उनकी अभियुक्तों से रंजिश है तथा फरियादीगण व साक्षी उनके मकान पर आधिपत्य करना चाहते है तथा मदिरापान कर उसके साथ आये दिन गाली-गलोच करते है तथा उसे मकान खाली करके भगवाने की धमकी देते हैं। वह अपने माता-पिता का एक ही पुत्र है, वह ग्राम बेड़िया तहसील बड़वाह में ईमाम तथा बच्चों को पढाने का कार्य करता है। वह फरियादीगण के डर से अपने घर में नहीं रहता है। उसे दारूल उलुम खातमे जन्नत मेंन रोड़ ठीकरी जिला बडवानी म.प्र. के सदर द्वारा रखा गया है तथा चंदा वसूल करने का कार्य सत्तार भाई पिता कासम, निवासी नायता मोहल्ला ठीकरी द्वारा रखा गया है। उसे दिनांक 20.12.07 को नियुक्त किया था, जिसके संबंध में शपथ पत्र सत्तार भाई ने दिया था जो प्रदर्शडी 1 है। दिनांक 01.12.08 को उसने बुक नम्बर 16 इन्दौर, देवास, धार, धामनोद, गुजरी, दुधी, महू के लिए चंदा वसूली हेतु दिया था। वह दिनांक 03.12.08 को धार के लिए निकला था तथा दिनांक 07.12.08 को धार जिले में चंदा वसूल किया था। दिनांक 09.12.08 को वे वापस धार में चंदा लेने गये थे तथा दिनांक 10.12.08 को देवास गये थे। उसके साथ अभियुक्त अकरम भी था। सदर साहब ने उसे कार से भेजा था। दिनांक 11.12.08 तक वे देवास में चंदा करते रहे और शाम को इन्दौर वापस आये। वहाँ 4-5 व्यक्तियों से चंदा लिया था। समय ज्यादा हो गया तो रात्रि लगभग 10:30 बजे वे लोग शेख फाजल के घर खाना खाने गये थे, वहाँ ठीकरी से उसके पिताजी का फोन आया था, घर पर पुलिस आई थी और उन्हें परेशान कर रही है, तो उसने कहा कि रात्रि का समय है वे लोग सुबह आयेंगे फिर सुबह फ़जल की नमाज पढ़ने के बाद दिनांक 12.12.08 को वे ठीकरी के लिए प्रातः 6-6:30 बजे रवाना हुए और प्रातः 9–9:30 बजे ठीकरी पहुँचे और उसके माता–पिता ने बताया कि फरियादी ने और उसके परिवारजनों ने उनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई है और वे थाने गये थे, तब पुलिस ने उनसे थाने पर 5–6 कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस के कहने से उन्होंने दबाव में आकर कोरे कागजों पर हिन्दी

में हस्ताक्षर कर दिये थे। उन्होंने फरियादी पक्ष के साथ कोई मारपीट गाली—गलोच नहीं की थी। अभियुक्त का यह भी कथन है कि फरियादी मुबारिक ने दिनांक 15.12.08 को उसके पिता और उसकी माता, बहन के विरुद्ध प्रायवेट परिवाद लगया था, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.11 को असत्य पाकर निरस्त कर दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्शडी 2 है तथा थाने के जॉच प्रतिवेदन प्रदर्शडी 3 है। अभियुक्त का यह कथन है कि फरियादी ने उनके विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट लिखाई है। दिनांक 11.12.08 को वह तथा अकरम घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, वे लोग देवास में चंदा कर रहे थे तथा बुक कमांक 16 उन्होंने सदर के पास जमा करा दी थी। साक्षी ने दिनांक 11.12.08 को बुक कमांक 16 में देवास में रहने वाले हातम शेख, जुबरभाई, इमरान शेख, हाजी अब्दुल गनी, रसीद, तथा उसी दिनांक को रसीद कमांक 1652 से लेकर 1654 पर इन्दौर निवासी शेख फाजल, आजाद शेख तथा जुबेर शेख से चंदा वसूलने क संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने दिनांक 28.12.08 को बुक कमांक 16 से उसके द्वारा वसूल किया गया चंदा 4846 / — रसीदों के साथ जमा कराने और उनके रसीद प्रदर्शडी 4ए से लगाकर प्रदर्शडी 25 भी प्रदर्शित कराये हैं।

अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने फरियादीगण द्वारा उसे दी गई धमकी के बारे में पुलिस को कभी रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने घटना के पूर्व और घटना के समय ग्राम बेडिया की मस्जिद में ईमाम होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्शडी 1 के तस्दीकनामें में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कमेटी ने उन्हें किस जिले में चंदा वसूलने के लिए अधिकृत किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह बुक क्रमांक 16 से पहले वाली रसीद कट्टे और बाद के रसीद कट्टे किन व्यक्तियों को सदर द्वारा दिये गये, उनके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शडी 4 ए से लगायत प्रदर्शडी 24 ए की रसीदों पर रसीद काटने का समय नहीं डाला है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि इन्दौर से ठीकरी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और प्रायवेट वाहन से जाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक 11 दिसम्बर 2008 को वह ठीकरी में था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि चार पहिया वाहन वह तथा अकरम चलाना नहीं जानते है तथा उन तीनों के अतिरिक्त उनके साथ और कोई भी नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह अपने साथ गये वाहन चालक का नाम नहीं जानता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वे लोग कार लेकर इन्दौर, देवास और धार नहीं गये थे। इसलिए वह चालक का नाम नहीं बता सकते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वे जिस वाहन को ले जाना बता रहे है वह किस व्यक्ति का था वह नहीं जानता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 11.12.08 को दोपहर लगभग 12:30 बजे उसने और अकरम ने फरियादी मुबारिक को चाकु से मारपीट की थी अथवा उसने मिथ्या दस्तावेज पेश किये है।

नसरूद्दीन ब.सा 2 ने भी युनुस ब.सा 1 के कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्तों एवं फरियादीगण के मध्य रंजिश होने और घटना दिनांक को अभियुक्तों के ठीकरी में नहीं होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना वाले दिन मुबारिक ने अभियुक्त युनुस के परिवार को गालियाँ दी थी और थाने पर मिथ्याँ रिपोर्ट लिखाईँ थी, क्योंकि फरियादीगण और अभियुक्त युनुस के परिवार में दीवार को लेकर रंजिश है। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह घटना का वर्ष एवं तारीख नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी किराना दुकान मुबारिक के घर के ठीक सामने नहीं है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि मुबारिक के घर के सामने वाली लाईन में है। उसके घर से 10 से 20 फीट की दूरी पर हैं तथा उसकी दुकान से अभियुक्त युनुस एवं फरियादी मुबारिक के पिता का मकान दिख जाता है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसकी दोनों पक्षों से अच्छी बोलचाल है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने फरियादी के घर के दरवाजे को खोलकर मुबारिक के साथ चाकु से मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने उक्त घटना अभियुक्त द्वारा करना देखी है अथवा वह अभियुक्तों को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

जुबेद शेख ब.सा.३ का कथन है कि वह अभियुक्त युनुस को 20. जानता है तथा अकरम को एक बार पहले देखा था। वर्ष 2008 के दिसम्बर माह में युनुस उसके पास रात्रि 9:30 बजे इन्दौर में चंदा लेने आये थे तो उसके पिता ने यूनुस को 501/— रूपये का चंदा दिया था। युनुस को रात्रि 11 बजे मोबाईल पर ठीकरी में मुबारिक के साथ विवाद होने की सूचना मिली तो वह प्रातः पहली नमाज होने के बाद कार से ठीकरी रवाना हुए थे। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे जानकारी नहीं है कि युनुस जिस दिन उनके यहाँ चंदा लेने आया था, उस दिन ठीकरी से इन्दौर कब आया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण चंदा लेने किस दिनांक को कितने बजे ठीकरी से निकले थे और कितनी बजे इन्दौर पहुँचे थे, यह अभियुक्तों ने नहीं बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्तगण द्वारा देवास में चंदा लेने की उसने कोई रसीद नहीं देखी थी और अभियुक्तगण चंदा लेने देवास गये थे या नहीं इसकी उसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त किस दिनांक को चंदा लेने आये थे, वह निश्चित दिनांक नहीं बता सकता है, लेकिन दिसम्बर 2008 को आखरी दिनों की बात है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तगण उसके मिलने वाले है, इसलिए उनके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है।

- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तों और फरियादी पक्ष के मध्य मकान की दीवार को लेकर पूर्व की रंजिश है, इसलिए फरियादी ने यह असत्य रिपोर्ट पुलिस अधिकारीगण से मिलकर लिखवाई है। उनका यह भी तर्क है कि इसी रंजिश के कारण फरियादी एवं उसके साक्षियों ने प्रदर्शपी 1 की पुलिस रिपोर्ट से बढ़ा-चढाकर न्यायालय में यह कथन किया है कि अभियुक्त युनुस के परिवार से उसके माता-पिता एवं बहन भी मुबारिक को मारने में शामिल थे तथा इस संबंध में परिवादी ने प्रायवेट परिवाद भी न्यायालय में लगाया था जो असत्य पाकर निरस्त किया गया, जिसके आदेश की प्रतिलिपि प्रदर्शडी 2 प्रमाणित की है। तर्क के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ता ने फरियादी द्वारा अभियुक्तों की जमानत के संबंध में माननीय सत्र न्यायालय बड़वानी में की गई आपत्ति की प्रतिलिपि एवं परिवादी के द्वारा अभियुक्तगण एवं हसनुबी, जायदाबी और ईरमाईल के विरुद्ध पेश किये गये परिवाद और उसमें परिवादी एवं साक्षियों के कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ भी पेश की गई है। उनका यह भी तर्क है कि घटना के समय अभियुक्त युनुस चंदा वसूल करने के लिए देवास और इन्दौर में था तथा दूसरा अभियुंक्त अकरम भी ठीकरी के बाहर था। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तगण को दोषमक्त किया जाये।
- यह सही है कि फरियादी मुबारिक अ.सा.1 ने यह स्वीकार किया है कि घटना के पहले से ही उनकी अभियुक्तों से बोलचाल बंद है और शेष अभियोजन साक्षियों ने भी इस संबंध में स्वीकारोक्ति की है कि मकान की दीवार को लेकर उनका अभियुक्तों से विवाद है। यह भी सही है कि फरियादी मुबारिक ने अभियुक्त युनुस के पिता, माता एवं बहन के विरूद्ध प्रायवेट परिवाद इसी घटना के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.11 को निरस्त किया गया। उक्त आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा ''यह लेख किया गया है कि ''यह पाया जाता है कि परिवादी के द्वारा यह परिवाद अभियुक्त युनुस एवं अकरम जिनके विरूद्ध पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रकरण लंबित है उनके अलावा हसनूबी, ईस्माईल और जायदा बी को भी अपराध में आलिप्त करने की नियत से परिवाद पत्र पेश किया गया, इसलिए परिवाद के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लिये जाने का आधार प्रतीत नहीं होता है।" इस प्रकार उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि न्यायालय का यह निष्कर्ष नहीं है कि फरियादी द्वारा अभियुक्त युनुस एवं अकरम के विरूद्ध लिखाई गई थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 314/08 की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी असत्य है, बल्कि न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों के अतिरिक्त शेष तीन अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए फरियादी द्वारा पेश परिवाद को असत्य माना गया है।

- जहाँ तक फरियादी पक्ष एवं अभियुक्तों के मध्य रंजिश होने का 23. प्रश्न है, रंजिश एक ऐसी द्विधारी तलवार है जिसके आधार पर अभियुक्तों द्वारा घटना कारित भी की जा सकती है, जहाँ तक अभियुक्तों द्वारा घटना दिनांक, स्थान व समय पर ठीकरी के बाहर अपनी उपस्थिति होने के संबंध में पेश की गई साक्ष्य का प्रश्न है वहाँ स्वयं अभियुक्त युनुस ब.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह जिस वाहन से गर्ये थे, उसके चालक का नाम नहीं पता था, उसके मालिक का नाम भी नहीं पता था। यहाँ तक कि अपने साथ जाने वाले अन्य व्यक्ति हबीब का परीक्षण भी घटना दिनांक को उनकी ठीकरी से बाहर उपस्थिति के संबंध में नहीं कराया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अधिकार पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि कमेटी ने उन्हें किस जिले के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि इन्दौर से ठीकरी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और 3 घंटे का समय प्रायवेट वाहन से जाने में लगता है। अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक 11.12.2008 को जिन व्यक्तियों से देवास में चंदा लेना बताया गया है उनके कोई कथन इस संबंध में नहीं कराये गये है कि घटना दिनांक को दोपहर के समय लगभग 12:30 बजे अभियुक्तगण देवास में उपस्थित थे। जुबेद शेख ब.सा.3 ने भी दिसम्बर 2008 के अंतिम दिनों में अभियुक्त द्वारा रात्रि में 9:30 बजे उनके यहाँ इन्दौर में चंदा लेने आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण देवास चंदा लेने गये थे या नहीं इसकी उसे व्यक्तिगण जानकारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में घटना दिनांक को अभियुक्तगण ठीकरी से बाहर थे, इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तृत की गई साक्ष्य विश्वसीनय प्रतीत नहीं होती है, जबिक अभियुक्तगण घटना दिनांक को घटनास्थल पर नहीं थे, बल्कि अन्यत्र उपस्थित थे, इस तथ्य को साबित करने का भार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत अभियक्तों पर था, क्योंकि किसी भी विशिष्टतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसका अभिवाक करता है।
- 24. जहाँ तक घटना के साक्षीगण व फरियादीगण के परिचित या उनसे हितबद्ध होने का प्रश्न है वहाँ घटना अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादीगण के घर के अंदर हुई है तो ऐसी स्थिति में फरियादी, उसकी पत्नी एवं उसके माता—पिता घटना के स्वाभाविक साक्षीगण है तथा किसी अन्य व्यक्ति के साक्षी नहीं होने मात्र से अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अभियुक्त युनुस द्वारा फरियादी मुबारिक को उसके घर में घुसकर चाकू से मारपीट करने के संबंध में फरियादी और अभियोजन साक्षियों के कथन परस्पर पुष्टिकारक एवं पूर्णतः विश्वसनीय है, जिसका प्रतिपरीक्षण के दौरान भी कोई खण्डन नहीं हुआ है। इस घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा तत्काल बाद थाने पर दर्ज कराई गई जहाँ से उसे ईलाज के लिए अस्पताल भेजे जाने पर डॉक्टर आर.एस. मुजाल्दा असा 9 ने मुबारिक को उसके पैर पर धारदार वस्तु से दो चोंटें होना पाई है तथा अपनी मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 प्रमाणित किया है। इस अपराध की विवेचना की है। शुभनारायण मिश्रा

असा 3 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्त जैसा चाकु बाजार में मिल जाता है, लेकिन यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त युनुस से जप्त किया गया चाकु उसके द्वारा अपराध में प्रयुक्त नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इससे बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि यदि अपराध में प्रयुक्त किया गया हिथयार अभियुक्त के पास से बरामद नहीं भी होता तो उसे प्रकरण में अभियोजन के विरुद्ध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। राजिकशोर असा 6, शुभनारायण मिश्रा असा 3 तथा डॉ. आर.एस. मुजाल्दा असा 9 ने अपने कर्त्तव्य निवंहन के दौरान कार्य करते हुए इस मामले में कार्यवाही की तथा बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत हो या प्रमाणित हो कि उक्त चिकित्सक साक्षी एवं पुलिस अधिकारियों की फरियादी पक्ष से कोई भी हितबद्धता या अभियुक्तों से कोई रंजिश थी, जिसके कारण उन्होंने असत्य कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त लोक सेवकों ने अपने कर्त्तव्य निवंहन के दौरान सही और उचित कार्यवाही की है।

इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त युनुस ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मुबारिक असा 1 के निवास स्थान में उसे उपहति कारित करने की तैयारी के आशय के साथ उसके निवास स्थान में प्रवेश कर उसे धारदार वस्तु चाकु से स्वैच्छया उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 452 और 324 का अपराध अभियुक्त युनुस के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त युनुस को उक्त अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है। जहाँ तक अभियुक्त अकरम का प्रश्न है वहाँ किसी साक्षी का यह कथन नहीं है कि अकरम ने मुबारिक के साथ उपहति कारित करने का सामान्य आशय युनुस के साथ मिलकर निर्मित किया था अथवा अकरम ने भी अभियुक्त युनुस द्वारा मुबारिक को चाकू से उपहति कारित करते समय उसकी सहायता की थी अथवा अभियुक्त अकरम फरियादी मुबारिक को उपहति कारित करने की तैयारी और आशय के साथ युनुस के सामान्य आशय को अग्रसरण करते हुए घटनास्थल पर पहुँचा था, ऐसी स्थिति में अभियुक्त अकरम के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 324/34 और 452 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त अकरम को भा.द.स. की धारा 324/34 और 452 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि मुबारिक असा 1 को केवल चाकू से ही दो चोंटें पैर पर होना पाई गई थी, किसी अन्य प्रकार की कोई चोंट उसके शरीर पर नहीं पाई गई थी, ऐसी स्थिति में अभियुक्त अकरम द्वारा मुबारिक के साथ मारपीट किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त अंकरम के विरूद्ध अन्य कोई अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है।

26. उक्त विचेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त युनुस के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 452 व 324 का अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है, लेकिन अभियुक्त अकरम के विरूद्ध अभियोजन उक्त अपराध प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त अकरम पिता नजीर को भा.द.स. की धारा 452 और 324/34 के अपराधों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है तथा उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

विचारणीय प्रश्न कमांक 3 के संबंध में

- 27. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी मुबारिक (अ.सा.1) एवं अन्य साक्षियों ने कोई कथन नहीं किये हैं। मुबारिक असा 1 का केवल इतना कथन है कि युनुस गंदी गॉलिया देते हुए दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया था। साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा उसे गॉलिया लोक स्थान या उसके समीप दी गई अथवा गाली सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ। शेष अभियोजन साक्षियों ने भी इस संबंध में कोई कथन नहीं किये है। अतः भा.द.स. की धारा 294 का अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त अपराध में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है।
- 28. अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त युनुस को परीवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

पुनश्च:-

29. सजा के प्रश्न पर अभियकुक्त युनुस एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया, उनका निवेदन है कि अभियुक्त लंबे समय से विचारण का सामना कर रहा है तथा अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होकर गरीब एवं ग्रामीण व्यक्ति है। अतः सहानुभूमिपूर्वक विचार किया जाये।

//15// आपराधिक प्रकरण कमांक 559/2008

- 30. यह सही है कि अभियुक्त ग्रामीण पृष्टभूमि का होकर लंबे समय से विचारण का सामना कर रहा है, लेकिन विचारण में उक्त विलंब स्वयं अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है तथा प्रकरण लगभग 4 वर्ष से बचाव साक्ष्य के लिए नियत होता रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त युनुस पिता इस्माईल को भा.द.स. की धारा 452 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 2000/— के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त युनुस 2 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा। भा.द.स. की धारा 324 में अभियुक्त युनुस को दोषसिद्ध ठहराते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 500/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त युनुस 15 दिवस का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त युनुस के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। उक्त दोनों सजाएँ साथ—साथ चलेगी। अभियुक्त युनुस द्वारा निरोध में बिताई गई करावास की सजा दी गई सजा में समायोजित की जाये।
- 31. अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें से रूपये 1000 / अपील अवधि पश्चात प्रतिकर स्वरूप आहत मुबारिक को प्रदान किये जाये।
- 32. अभियुक्त युनुस का अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।
- 33. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त युनुस को अविलंब निःशुल्क दी जाये।
- 34. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला—बड़वानी, म०प्र0 (श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड् (म०प्र०)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म०प्र० आपराधिक प्रकरण क्रमांक 559/2008 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध यूनुस आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :— यूनुस पिता इस्माईल नायता, आयु 30 वर्ष, निवासी—नायता मोहल्ला, ठीकरी तहसील ठीकरी, जिला बडवानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 12.12.2008

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 12.12.2008 से दिनांक 17.12.2008 तक रहा

है ।

इस प्रकार अभियुक्त युनुस ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 5 दिवस बिताये हैं।

c

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0